

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ २५ /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२०१६-१७/दिनांक ०२/०५/१६

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ के नियम-५(३) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा नियमावली के नियम ८ के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभागीय लिखित परीक्षा हेतु विषयवार अवधारित १० प्रतिशत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन दिनांक २३.०२.२०१४ के अवधार पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४६००) में सहायक अध्यापक एल.टी. (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-६ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: हिन्दी

शाखा: सामान्य

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि/ गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	श्री मोला दत्त	श्री मुकुन्द राम	०३-०१-१९७५ धमोली	सामान्य		रा०प्रा०वि०बटाभार, गैरसैण, धमोली	रा०इ०का० बरोडा, गैरसैण, धमोली	रिक्त पद के प्रति
२	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	श्री विद्यारत्ता शर्मा	०६-१०-१९७५ पौड़ी	सामान्य		रा०प्रा०वि०धलीसैण, पौड़ी	रा०इ०का० पैठाणी, धलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
३	श्रीमती रश्मा मैन्डोली	श्रीमती माधवानन्द	०४-०७-१९७० देहरादून	सामान्य	महिला	रा०प्रा०वि०मिर्जापुर, पोखरी धमोली	रा०इ०का० पिपलीधार डगर, कीर्तिनगर, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
४	श्री विरेन्द्र सिमल्टी	श्री जिन्दान प्रभाद सिमल्टी	०१-०७-१९७४	सामान्य		रा०प्रा०वि०कैलाबागी, भिलगना, टिहरी	रा०इ०का० ओंकाडा, नरेंद्रनगर, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
५	श्री दिलबर सिंह	श्री बलवन्त सिंह	२५-०६-१९७५ धमोली	सामान्य		रा०प्रा०वि०रणकोट गैरुड, धराली, धमोली	रा०इ०का० तलवाडी, धराली, धमोली	रिक्त पद के प्रति
६	श्री नरेंद्र कुमार	श्री जयानन्द ग्राम	११-०४-१९७९ पौड़ी	सामान्य		रा०प्रा०वि०पिपली, एकेश्वर, पौड़ी	रा०इ०का० खनाना, नरेंद्रनगर, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
७	श्री सुभाष चन्द्र शवत	श्री देव सिंह शवत निकट	०२-०३-१९७१ पौड़ी	सामान्य		रा०प्रा०वि०धुन्ना, पाबी, पौड़ी	रा०इ०का० बृगलगढी, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
८	श्रीमती पूनम	श्री रमेश चन्द ग्वाडी	११-११-१९६३ देहरादून	सामान्य	महिला	रा०प्रा०वि० आमसैण, यमकेश्वर, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० तल्ला बनास, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
९	श्री शतजय नैशानी	श्री शिवान नैशानी	२६-०१-१९६९ देहरादून	सामान्य		रा०प्रा०वि०नीलकण्ठ, यमकेश्वर, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० रैस, द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
१०	श्री पूरण सिंह	श्री जसराज	०१-०९-१९७३ देहरादून	अनु०ज०जा०		रा०प्रा०वि०रड्डु मुन्मोल, चकराता, दे०दून	रा०उ०मा०वि० डाडापुर(रमसा), विकासनगर, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
११	श्रीमती प्रभा सरी	श्री बाकलाल शुक्ला	०४-०७-१९७४ धमोली	सामान्य	महिला	रा०प्रा०वि० परसारी, जोशीमठ, धमोली	रा०उ०मा०वि० हेलंग, जोशीमठ, धमोली	रिक्त पद के प्रति
१२	श्री अनूप कुमार	श्री मयाराम बलूनी	०७-०५-१९७६ देहरादून	सामान्य		रा०प्रा०वि०सिन्धी गैण्डखाल, यमकेश्वर	रा०उ०मा०वि० बनाली, चम्बा, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
१३	श्री भरत सिंह राणा	श्री हरिसिंह राणा	०५-०७-१९७९ उत्तरकाशी	अ०पि०जा०		रा०प्रा०वि०पैन्सर, मोरी, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० मल्ला, भटवाडी, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
१४	श्रीमती रम्मा बर्तवाल	श्री उमेश सिंह चंद	२८-०६-१९७८ टिहरी	सामान्य	महिला	रा०प्रा०वि० कोटीखारा, जाखणीधार, टिहरी	रा०उ०मा०वि० मेवली दिउली (न०उ०च्यौ०), जाखणीधार, टिहरी	रिक्त पद के प्रति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	श्रीमती सरिता भण्डारी	श्री रणवीर सिंह भण्डारी	15-05-1978 टिहरी	अ0पि0जा0	महिला	रा0प्रा0वि0डाग, बिलगना, टिहरी	रा0इ0का0 नागराजधर नगुण, धौलधर, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
16	श्री मुरली मनोहर भट्ट	श्री इन्द्र देव भट्ट	12-06-1978 उत्तरकाशी	अ0पि0जा0		रा0प्रा0वि0डाग, बिलगना, टिहरी	रा0इ0का0 गौरसाली, मटवाडी, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
17	श्री विजय कुमार	श्री जुमलुराम कुमार	27-05-1979 उत्तरकाशी	अनु0जा0		रा0प्रा0वि0मसरी, मोरी, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 गेंवला, डुण्डा, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

पुस./सेवा.अराज./ 1997-2100 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016-17/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पीडी।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
10. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0/बे0)।
11. सम्बन्धित वित्त एण लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
13. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
14. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा अमिलेखों एवं समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्रों का मूली-मौलि परीक्षण कर लें, तत्पश्चात ही कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा परिवर्तन की दशा में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें।

सहायक अध्यापक (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें अनिवार्य हैं -

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य, जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। (ii) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी.एड. की उपाधि तथा जैसा नियमावली में विहित है।

15. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मूल में अवलोकित कराने के उपरान्त अमिलेखों की छायाप्रति सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही उनके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में कोई याद विचाराधीन है।

16. कार्यालय प्रति।

L. S. S. S.
(रामकृष्ण उनिवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीडी।